

R. 1209-PB 247

(92)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल जवाहरीय संभाग इन्दौर  
म.प्र. केम्प इन्दौर

श्री विनायक 23, 11  
प्रार्थी/अभिमानक द्वारा दिनांक 27.03.17

निगरानी प्रकरण क्रं.-  
श्रवण तिथि :-



प्रस्तुत।  
193  
27-03-2017

अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

1. नसीमाबाई पति अजगर अली निवासी मोहल्ला दाउदपुरा, शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.  
—अपीलार्थी/आवेदक
- विरुद्ध
1. शिरीनबाई पति मोहसीनअली निवासी मोहल्ला दाउदपुरा शहर तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.
2. यासमीन पति अब्बास पुत्री गुलाम हुसैन, निवासी खामगांव महाराष्ट्र, हाल निवास दाउदपुरा शहर एवं जिला बुरहानपुर म.प्र.  
— प्रतिअपीलार्थीगण/अनावेदकगण

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

अपीलार्थी/आवेदक निवेदन करती है :-

1. यह कि अपीलार्थी/आवेदिका यह अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखंड, बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के न्यायालय के राजस्व अपील प्रकरण क्रं. 69-अ/6 सन् 2015-16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.03.2017 से दुःखित एवं पीडित होकर निम्नलिखित आधारों पर या उनमें से किन्ही पर प्रस्तुत करती है।

*(Handwritten signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1209 -पीबीआर/19

जिला बुरहानपुर


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

20-11-2018

आवेदक की ओर से श्री विनोद सुगंधी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23-1-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हो ।



  
अध्यक्ष